

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2

संख्या : 488 / VII-08/08
देहरादून : दिनांक : 29 फरवरी, 2008

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा दिये जाने व औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किये जाने एवं राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने तथा समन्वित एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु श्री राज्यपाल महोदय दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 निम्नानुसार प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उद्देश्य (Objective):

इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास, औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उद्यमों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को विपणन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जाना सम्भव हो सकेगा। पर्वतीय विषम भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिवेश तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इस पृथक औद्योगिक नीति में समन्वित एवं समूह आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को चिन्हित (Identified) करते हुये अनुदान/प्रोत्साहन सुविधाओं की अनुमन्यता की सीमा व मात्रा निर्धारित की गई है। विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यमों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

1. हरित तथा नारंगी श्रेणी के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योग।
2. भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों में शामिल गतिविधियाँ।
3. प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ, यथा: कुक्कुट पालन तथा पर्यटन गतिविधियाँ।
4. पूर्वोत्तर राज्यों के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज-2007 में सम्मिलित सेवा क्षेत्र व अन्य सैक्टर की निम्न गतिविधियाँ:-

अधीक्षक

(1)– सेवा क्षेत्र–

(i) होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल तथा रोप-वे।

(ii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओंयुक्त नर्सिंग होम।

(iii) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथा: होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग एण्ड फुड काफ्ट, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक विमानन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग तथा औद्योगिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।

(2)– जैव प्रौद्योगिकी (Bio-technology Industry)।

5. संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी (Protected Agriculture/Poly House), कोल्ड स्टोरेज आदि गतिविधियाँ।
6. पेट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम

2– दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण:

इस नीति में एकीकृत औद्योगिक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की अनुमन्यता के लिए योजना में आच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

श्रेणी (Category)- ए:

प्रदेश के सीमान्त एवं सुदूरवर्ती जनपद तथा उन जनपदों को सम्मिलित कर बनाये गये नवसृजित जनपद, जिनमें जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भू-भाग सम्मिलित हैं।

श्रेणी (Category)- बी:

जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भू-भाग तथा देहसादून के विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकास खण्ड को छोड़कर व जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकास खण्ड को छोड़कर इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र बहुल विकास खण्ड भी इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे।

3– योजना की वैधता अवधि:

यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक, जब तक अन्यथा संशोधित न हो, लागू रहेगी।

4- योजना से व्यवहृत इकाईयां एवं पात्रता क्षेत्र:

योजना लागू होने के पश्चात् स्थापित ऐसे अभिज्ञात नये विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों, जिन्होंने अपने उद्यम की स्थापना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् की हों, तथा उद्यम की स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से उद्यमिता ज्ञापन पत्र/अनुज्ञा पत्र/वांछित पंजीकरण प्राप्त किया हो, को पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं/रियायतों का लाभ प्राप्त होगा। स्थापित उद्यम के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर ये सुविधायें प्राप्त नहीं होंगी।

5- विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना नीति में प्रदत्त प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन एवं अन्य छूट (Fiscal and concessional incentives):

विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन योजना नीति में प्रदत्त प्रमुख अनुदान सुविधाओं/रियायतों तथा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नवत् है:-

(1)- भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना:

- (i) राज्य सरकार द्वारा विकसित मिनी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में वांछित अवस्थापना एवं सामान्य सुविधाओं, विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, नालियों व सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य पूर्ण कर विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
- (ii) राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भूखण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर लीज डीड/सेल डीड के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट दी जायेगी।
- (iii) यदि कोई उद्यमी निजी औद्योगिक आस्थान/मेगा प्रोजेक्ट/विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिये औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर सीधे स्वयं भूमि क्रय करता है, तो भूमि के क्रय विलेख पत्र के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट दी जायेगी।
- (iv) उद्यमी द्वारा क्रय की गई भूमि के भू-उपयोग के परिवर्तन की सुगम एवं सरल बनाई जायेगी।

- (v) औद्योगिक आस्थानों के रख-रखाव हेतु सहकारी समितियों के गठन के लिये उद्यमियों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि आस्थान के रख-रखाव हेतु आस्थान के उद्यमी सहकारी समिति का गठन करते हैं, तो समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये अंशपूँजी के अनुपात(5 गुना) में रू0 15 लाख तक की धनराशि एकमुश्त Grant-in-aid के रूप में दी जायेगी, जिसको समिति द्वारा बैंक में फिक्स डिपोजिट किया जायेगा और इस प्रकार किए गए फिक्स डिपोजिट पर अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि का उपयोग आस्थान के रख-रखाव हेतु किया जायेगा।
- (vi) पर्वतीय क्षेत्र में निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा 2 एकड़ होगी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित रूप से अधिसूचित बंजर, असिंचित भूमि अथवा अन्य उपलब्ध स्थानों पर निजी सार्वजनिक सहभागिता में निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (vii) निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों तथा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना में अवस्थापना सुविधाओं जैसे: विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति, सड़क, सम्पर्क मार्ग, नालियों के निर्माण आदि में हानि काले गण की 50 प्रतिशत धनराशि, अधिकतम रू0 50 लाख अनुदान के रूप में औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों को अनुदान स्वरूप दी जाएगी।

(2)- विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता:

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1644/VII/98-उद्योग/2005 दिनांक 13 जून, 2005 से दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों के लिये क्रियान्वित विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता योजना को इस योजना में सदिलीन (Merge) करते हुये दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन के निर्माण, मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश पर निम्नवत् विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी:-

- (i) श्रेणी- ए के जनपद/क्षेत्र में कुल अचल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत (अधिकतम रू0 30 लाख)
- (ii) श्रेणी- बी के जनपद/क्षेत्र में कुल अचल पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू0 25 लाख)

(3)- विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता:-

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1040/औ0वि0/ब्या0प्रो0स0-7/2004-169 उद्योग दिनांक 24 मई, 2004 के अन्तर्गत दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज दर में 5 प्रतिशत, अधिकतम रू0 3 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता दिये जाने का प्राविधान है। यह योजना 31 मार्च, 2008 को समाप्त हो रही है।

प्रदेश के दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों में दिनांक 1-4-2008 के पश्चात् भी ब्याज प्रोत्साहन सहायता निम्न प्राविधानों के साथ लागू रहेगी:-

- (i) श्रेणी- ए के जनपदों में वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर देय सामान्य ब्याज की कुल दर पर 6 प्रतिशत की सीमा तक, अधिकतम रू0 5 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष तथा श्रेणी-बी के जनपदों/क्षेत्रों में सामान्य ब्याज की कुल दर पर 5 प्रतिशत की सीमा तक, अधिकतम रू0 3 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ब्याज प्रोत्साहन सहायता के रूप में दी जायेगी।
- (ii) विनिर्माणक/उत्पादक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के सभी उद्यमों/चिन्हित गतिविधियों को ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी।

(4)- नये उद्यमों को विद्युत बिलों में छूट :-

(अ) सभी अनुमन्य गतिविधियों के लिये 10 वर्ष तक विनिर्माणक उद्यमों में उत्पादन एवं कार्यालय तथा सेवा क्षेत्र संबन्धी उद्यमों में सेवा इकाई एवं कार्यालय में खपत होने वाली विद्युत के बिलों के भुगतान में 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा सकती है।

(ब) होटल/मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, स्टील रोलिंग मिल्स, इलैक्ट्रिक फर्नेस तथा अन्य इकाइयों जो अधिक बिजली खपत करते हैं, इस छूट की पात्र नहीं होंगी।



(स) इस प्राविधान के अन्तर्गत फल संरक्षण एवं जड़ी-बूटी आधारित उद्योगों एवं स्थानीय उत्पादों को महत्व दिया जायेगा। स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रदूषण रहित उद्योगों को आकर्षित किया जायेगा।।

(5)- विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति ।

योजनान्तर्गत सभी अनुमन्य गतिविधियों में देय मूल्य वर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति श्रेणी-ए के जनपदों में कुल कर देयता के 90 प्रतिशत तथा श्रेणी-बी के जनपदों में 75 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(6)- विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता:

भारत सरकार की केन्द्रीय परिवहन उपादान योजना-1972 के अन्तर्गत प्रदेश के पहाड़ी जिलों में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों को इकाई के कार्य स्थल से निकटतम रेल शीर्ष से कच्चा माल लाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने पर किये गये परिवहन व्यय में 75 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक केन्द्रीय परिवहन उपादान की सुविधा उपलब्ध है।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादित कच्चे माल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति (Compensate) के लिये ऐसी इकाईयों को उनके कुल सालाना बिक्री (Annual Turn over) के आधार पर "ए" श्रेणी के जनपदों में वार्षिक Turn over का 5% एवं "बी" श्रेणी के जनपदों में 3% अनुदान सहायता दी जायेगी। इकाई के सालाना बिक्री (Annual Turn over) की पुष्टि व्यापार कर विभाग में दाखिल return तथा सत्यापन रिपोर्ट से की जायेगी।

(7)- मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन:

प्रदेश की औद्योगिक नीति-2003 में मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनमें 50 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हो, को विशेष सुविधाएं दिए जाने का प्राविधान किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिये मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु अचल पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा रु0 5 करोड़

निर्धारित करते हुये केवल अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इन मेगा प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाएं/छूट पात्रता के अनुसार अनुमन्य होंगी।

(8)- उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, अध्ययन एवं सर्वेक्षण:-

- (i) उद्यमिता कौशल में वृद्धि एवं विकास तथा तकनीकी जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए स्थानीय लोगों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर उद्योगों की मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा स्वतः उद्यम की स्थापना को अभिप्रेरित किया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आईटीआई, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों/विश्वविद्यालयों से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित किया जायेगा। यदि क्षेत्र में किसी विशेष सर्वेक्षण व अध्ययन की आवश्यकता हुई तो वह भी इस मद से किया जायेगा।
- (ii) कौशल विकास (Skill Development) प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण के लिए उद्यमिता कौशल विकास संस्थान की स्थापना हेतु निजी संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि संस्थाएं कौशल विकास प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मशीनरी व टूलस् की स्थापना संस्थान में करती हैं, तो इस मद में किये गये व्यय पर राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत वित्तीय प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त उपादान व अन्य सुविधाओं का लाभ इन संस्थाओं को दिया जायेगा। उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिये Bench Marking System के आधार पर प्रशिक्षण के कौशल का स्तर निर्धारित एवं मान्य (accredited) होने पर ही वित्तीय सहायता/सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। साथ ही ऐसी औद्योगिक इकाईयों/अशासकीय संस्थायें (NGO) के स्किल डेवलपमेन्ट कार्यक्रमों को भी सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा, जो अपने उपक्रमों/संस्थाओं में अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे।

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन आधारित उद्यम विकास के लिये विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं से सहायता ली जायेगी एवं आवश्यकतानुसार शोध, अध्ययन एवं सर्वेक्षण विशेषज्ञ संस्थाओं से कराये जायेंगे।

(9)– स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन:-

- 1– पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सामान्य सुविधाओं (Common Facilities) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चुने हुए स्थानों पर औद्योगिक कार्यशाला को सामान्य सुविधा केन्द्र (Common Facility Centre) के रूप में संचालित किया जायेगा। केन्द्र के संचालन के लिये प्रोपराईटरी, फर्म, कम्पनी अथवा संस्था के लिये प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित, यथा चीड़ की पत्ती, समबांस व अन्य फाईबर, फल व शाक-सब्जी, जड़ी-बूटी इत्यादि के प्रशोधन, प्रसंस्करण तथा भण्डारण आदि के लिये शोध एवं विकास (Research & Development) करने पर सहायता प्रदान की जायेगी तथा स्थानीय उपलब्ध कच्चेमाल, यथा: फल व शाक-सब्जी, जड़ी-बूटी इत्यादि के भण्डारण, प्रसंस्करण तथा डिब्बा बन्दी के कार्य प्रोत्साहित किये जायेंगे। क्षेत्र में स्थापित इकाईयों के उत्पादों के विपणन में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। ऐसी संस्था/केन्द्र द्वारा स्थानीय कच्चेमाल के वैज्ञानिक विदोहन की विधि में होने वाले व्यय पर वन अनुसंधान केन्द्र, सी0एस0आई0आर0, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों से तकनीकी परामर्श/सेवा आदि प्राप्त करने पर जो व्यय होगा, उसकी 75 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति परामर्श उपादान के रूप में की जायेगी। इसके साथ ही इन सामान्य सुविधा केन्द्रों द्वारा विपणन सहयोगी संस्था के रूप में उद्यमियों को Forward Linkage भी प्रदान किया जायेगा।
- 2– औद्योगिक नीति-2003 में वित्तीय प्रोत्साहनों के अन्तर्गत राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय अनुमोदित संस्थाओं से गुणवत्ता विन्हांकन तथा आई0एस0ओ0प्रमाणीकरण पर किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 2 लाख, प्रतिपूर्ति अनुदान

सहायता दिये जाने की प्राविधान किया गया है। वर्तमान में यह सुविधा केवल आई0एस0ओ0प्रमाणीकरण एवं पेटेन्ट पर दी जा रही है। अतः उक्त नीति के तहत आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण के अतिरिक्त उत्पाद की गुणवत्ता तथा मानकीकरण हेतु औद्योगिक इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई0एस0आई0 विन्हांकन, क्वालिटी मार्किंग, बी0आई0एस0, एफ0पी0ओ0 लाईसेन्स, ट्रेड मार्क एवं कापी राइट पंजीकरण आदि प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय के 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुदान स्वरूप प्रदान की जायेगी।

(10)– विपणन प्रोत्साहन सहायता:

- 1– उद्यमियों को उनके उत्पादन के विपणन संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय, प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 2– प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के शिल्पियों/उद्यमियों को अपने उत्पाद के विपणन हेतु राष्ट्रीय, प्रादेशीय तथा जिला स्तरीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु जनपद से बाहर यात्रा करने पर यात्री किराये भाड़े की प्रतिपूर्ति तथा माल परिवहन में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
- 3– राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय एवं सुदूर क्षेत्रों में स्थापित विनिर्माणक/उत्पादक औद्योगिक इकाईयों को राजकीय क्रय में मूल्य वरीयता में 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता प्रदान की जायेगी।

(11)– वित्तीय प्रोत्साहन सहायता की मात्रा:

- 1– सभी पूंजी उपादान योजनाओं का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि सभी प्रकार के पूंजी व विशेष पूंजी उपादानों से मिलने वाले कुल अनुदान की धनराशि इकाई में लगे अचल पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत (अधिकतम रू0 60 लाख) से अधिक नहीं होगी।

- 2- प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों को उद्यम की स्थापना पर सभी अनुमन्य सहायतायें श्रेणी-ए के जनपदों में अनुमन्य अधिकतम सीमा तक बिना इस बात के कि उनकी इकाई श्रेणी-ए अथवा श्रेणी-बी के जनपद में स्थापित है, अनुमन्य होगी।

(12)- योजना के अनुमोदन तथा प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया:

- 1- पर्वतीय व सुदूर क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप औद्योगिक विकास को गति प्रदान के दृष्टिगत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा, उनमें वांछित संशोधन/संवर्द्धन तथा आवश्यकतानुसार नवीन सुविधाओं/उपायों को योजना में सम्मिलित करने तथा उनके क्रियान्वयन हेतु पैकेज की मूल भावना एवं उद्देश्यों के अनुरूप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति विचार कर समुचित निर्णय लेगी।
- 2- अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के लिये जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को भी प्राधिकृत किया जायेगा।
- 3- विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/ रियायतों एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश (Guide lines) तैयार कर जारी करने के लिये औद्योगिक विकास विभाग को अधिकृत किया जायेगा।

- (13)- इस नीति के प्रस्तर-1 के अन्तर्गत उल्लिखित गतिविधियों/विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यमों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जायेगा।

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 488 / VII-II-08/08 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

2/12